यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहरादून**के माह 03/2014 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक,श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 27-10-2020 से 04-10-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजय पाल सिंह नेगी, लेखापरीक्षक,श्री एस॰के॰जौहरी,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व हिमांशु मणि,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2014 से 27.03.2014 तक श्री ए॰सी॰कटियार,लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2006 से 02/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहरादून**का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहरादून**के अन्तर्गत स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जा रही है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	259.55	259.55	-	0
2018-19	-	325.22	314.84	-	10.38
2019-20	-	468.92	361.67		107.25
2020-21 (08/2020)	-	180.36	173.01		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-)
2017-18	**UGC**	8.79	0.32	0.61	8.50
	Buddha Study Centre	1.83	0.07	0	1.90
	ICSSR	0.09	1.58	1.57	0.10
2018-19	**UGC**	8.50	0.30	0	8.80
	Buddha Study Centre	1.90	0.06	0.15	1.81
	ICSSR	0.10	2.23	2.23	0.10
2019-20	**UGC**	8.80	0.48	-	7.40
	Buddha Study Centre	1.81	2.46	3.41	0.86
	ICSSR	0.10	0	0	0.10
2020-21 (upto 10/2020)	**UGC**	7.40	3.26	0	-
	Buddha Study Centre	0.86	0.02	0	-
	ICSSR	0.10	0	0	-

(वर्ष 2019-20 मे यूजीसी के अंतर्गत रु 188196.00 यूजीसी को वापस कर दिया गया था।)

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकारसे प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचानिम्नवत हैः

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में**प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहारादून**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहारादून**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 04/2014, 01/2016 एवं02/2019को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 ब

प्रस्तर-1 महाविद्यालय द्वारा क्रय की गयी रुपये 12.96 एकड़ भूमि उद्देश्य के विपरीत उपयोगित होनाएवं उस पर अतिक्रमण रोकने संबंधी कोई भी कार्यवाही न किया जाना

एमपीजी कालेज के संचालन हेतु वर्ष 1970 मे महाविद्यालय द्वारा सरदार विला स्टेट मे डबल स्टोरी पक्का हाउस, रेस्ट हाउस एवं 10.5 एकड़ भूमि रुपये 18000/- की लागत से तथा हसल डेल स्टेट मे 2.46 एकड़ भूमि, मुख्य भवन रेस्ट हाउस रुपये27250/- की लागत से क्रय की गयी थी। भूमि क्रय का उद्देश्य कालेज हास्टल, स्टेडियम एवं महाविद्यालय का विकास किया जाना था। किन्तु अभिलखो के अनुसार 50 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उक्त भूमि पर महाविद्यालय के विकास हेतु कोई भी कार्य नहीं किया गया। अभिलेखानुसार उक्त भूमि का सीमांकन एवं किसी भी प्रकार का शैक्षिक विस्तार न किये जाने के कारण कई वर्षो से भूमि पर बाहरी तत्वो द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यह भी पाया गया की भूमि के साथ क्रय किए गए भवन और रेस्ट हाउस को सरकारी आवास मानकर महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षेत्तर कर्मचारियों को रहने के लिये दिया गया। जो भूमि/भवन क्रय के उद्देश्य के विपरीत था।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की अतिक्रमण एवं भूमि के सीमांकन हेतु क्या कार्यवाही की गयी। तथा भूमि क्रय का जो उद्देश्य था उसके संबंध मे कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण था।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि समय-समय पर सीमांकन संबंधी कार्यवाही हेतु प्रबंध समिति से अनुरोध किया जाता रहा है किन्तु एकाध बार तार बाढ़ के अतिरिक्त कोई काम नहीं कराया गया। तार बाढ़ को समय-समय पर बाहरी तत्वो द्वारा उखाड़ कर भूमि पर कब्जा किया जाता रहा है। कभी किसी प्रकार कि आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त किये जाने के कारण शैक्षणिक विकास हेतु कार्य नहीं हो सका।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य कि पुष्टि होती है कि महाविद्यालय एवं प्रबंध समिति द्वारा भूमि के सीमांकन, अतिक्रमण एवं भूमि जिस उद्देश्य के लिये क्रय की गयी थी के संबंध मे कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः महाविद्यालय द्वारा क्रय की गयी रुपये 12.96 एकड़ भूमि उद्देश्य के विपरीत उपयोगित होना एवं उस पर अतिक्रमण रोकने संबंधी कोई भी कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-2 महाविद्यालय द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति का पालन न करके रुपये 39.75 लाख का अनुरक्षण एवं निर्माण पर अनियमित व्यय किया जाना

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर संख्या 40 के अनुसार किसी नये निर्माण कार्य, मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये-

1. विस्तृत डिजाइन अनुमोदित होनी चाहिये ।
2. लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विशिष्ट अभिकरण से अनुमोदित विभिन्न मदो की विस्तृत विशिष्टियाँ एवं मात्रायुक्त प्राकलन उपलब्ध हो गया हो।
3. रुपये 15.00 लाख से अधिक लागत के आंगणन विषयक समस्त मूल निर्माण अथवा मरम्मत कार्य विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं लोक निर्माण संगठन को निर्दिष्ट किया जा सकता है। तथा निर्माण/मरम्मत कार्य लोक निर्माण संगठन द्वारा ही क्रियान्वित किये जाएंगे।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर संख्या 10 (1) मे यह स्पष्ट किया गया है की रुपये 25.00 लाख से अधिक लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रो मे विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाय।

अभिलेखो के निरीक्षण मे यह ज्ञात हुआ की शासनादेश संख्या-787/XXIV(7)/2013-87(2)/08 दिनांक 15 मार्च 2013 द्वारा रुपये 80.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसका उपयोग कंप्यूटर क्रय, फर्नीचर, अनुरक्षण इत्यादि मे अप्रैल 2013 तक करके उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अन्य संबन्धित अभिलेख निदेशक (उच्च शिक्षा) को प्रेषित किया जाना था। किन्तु पाया गया की महाविद्यालय द्वारा मार्च 2013 से जनवरी 2014 तक (10 माह) उक्त राशि को अपने पास अवरुद्ध रखे हुए थी। फरवरी 2014 मे अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 37.85 लाख की निविदा प्रकाशित की गयी वह भीव्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित न करके स्थानीय समाचार पत्र जनलहर एवं दैनिक हाक मे प्रकाशित की गयी। रु 37.85 लाख का आंगणन से पूर्व न तो मानचित्र बना कर अनुमोदित कराया गया और न ही आंगणन पर टीएसी की प्राविधिक स्वीकृत ही प्राप्त की गयी। नगर पालिका परिषद मसूरी के नगर अभियंता द्वारा ही आंगणन बनाकर स्थानीय निविदा के माध्यम से5 प्रतिशत अधिक पर कार्य स्वीकृत करके कार्य कराया गया। तथा कार्य की माप भी स्वयं की गयी। जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्ध था। ठेकेदार के साथ फरवरी 2014 मे किये गये अनुबंध के अनुसार कार्य 04 माह मे समाप्त किया जाना था। परंतु अभिलेखो के अनुसार कार्य 10 माह विलंब से माह 07/2015 मे समाप्त किया गया। विलंब से कार्य पर महाविद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2012-13 मे अवमुक्त राशिरुपये 80.00 लाख मे से वर्तमान मे रुपये 8.73 लाख की राशि महाविद्यालय के पास अवरुद्ध पड़ी हुई है।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर की रुपये 25.00 लाख से अधिक के कार्य पर कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रो मे विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित न करके स्थानीय स्तर पर निविदा प्रकाशित किये जाने का क्या कारण था। तथा आगणन की प्राविधिक स्वीकृत और मानचित्र बनाकर अनुमोदन न कराये जाने के क्या कारण थे।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया की प्रबंध समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दो स्थानीय समाचारपत्रो मे निविदा प्रकाशित की गयी। जानकारी के अभाव मे टीएसी नहीं करायी गयी। जानकारी के अभाव मे मानचित्र अनुमोदित नहीं कराया गया। आंकलन के आधार पर कार्य कराया गया।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है की महाविद्यालय द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति का पालन न करके रु 39.75 लाख का अनुरक्षण एवं निर्माण पर अनियमित व्यय किया गया। प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2'ब'

प्रस्तर:-3 दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रुपये3.04 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किया जाना।

विध्यार्थी शुल्क मे एकरूपता लाने सम्बन्धी दिनांक 20.06.2017 को निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता मे कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के प्राचार्यो की बैठक का आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी मे किया गया। बैठक मे कुमाऊँ मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल के महाविध्यालयों मे लिए जा रहे शुल्को पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, निदेशक उच्च शिक्षा की सहमति के उपरांत उत्तराखंड मे स्थित महाविध्यालयों मे सत्र 2017-18 से छात्र निधियो के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया।

कार्यालय प्राचार्य एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी देहरादून के छात्र निधियो के शुल्क सम्बन्धी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविध्यालय द्वारा 2017-18 से 2019-20 तक छात्र संघ शुल्क के अंतर्गत रुपये10 प्रतिमाह (120 प्रतिवर्ष), तथा काशन मनी के अंतर्गत रुपये20 प्रतिवर्ष शुल्क के रूप मे लिए जा रहे थे, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा छात्र संघ निधि मे रुपये50 तथा काशन मनी मे शून्य शुल्क निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त सत्र 2019-20 से निर्धन छात्र सहायता एवं सांस्कृतिक परिषद मे भी अधिक शुल्क लिया जा रहा था। इस प्रकार सत्र 2017-18 से 2019-20 तक छात्र निधियो मे रुपये3.04 लाख अधिक लिए गए थे (विवरण संलग्न)।

सत्र 2019-20 मे StudentFacilities के अन्तर्गत शुल्क के रूप मे रु 300 लिए जा रहे थे जिसमे electric,Generator,Internet,Water इत्यादि निधिया सम्मिलित है, महाविध्यालय द्वारा उक्त निधियो मे अलग अलग धनराशि दर्शायी जानी चाहिये थी। अलग-अलग धनराशि न दर्शाये जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त निधियो मे कितना शुल्क लिया जा रहा था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाविध्यालय के अन्तर्गत छात्र निधियो मे अधिक धनराशि प्राप्त की जा रही थी, इस प्रकार उच्चाधिकारियों के निर्देशों को न मानते हुये महाविध्यालय द्वारा छात्रनिधियों मे रुपये3.04 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त की गयी तथा StudentFacilities के अन्तर्गत शुल्क को अलग-अलग न दर्शाये जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त निधियो मे कितना शुल्क लिया जा रहा है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने परमहाविध्यालयद्वारा अवगत कराया गया कि जानकारी के अभाव मे निर्धारित दरों पर शुल्क नहीं लिया जा सका शीघ्र ही प्रबंध समिति से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित शुल्क की धनराशि निर्धारित कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल के समस्त महाविध्यालयों के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था, परन्तु महाविध्यालय द्वारा शुल्क संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
अतः दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रुपये3.04 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

Year	No. of Student (a)	Fee Receipt by College (b)	Total fees (c)=a*b	As per rule (d)	Total fees As per Rule (e)=a*d	Excess (f)=(c)-(e)
छात्र संघ						
2017-18	906	120	108720	50	45300	63420
2018-19	1101	120	132120	50	55050	77070
2019-20	1125	120	135000	50	56250	78750
Total						**219240**
काशनमनी						
2017-18	906	20	18120	0	0	18120
2018-19	1101	20	22020	0	0	22020
2019-20	1125	20	22500	0	0	22500
Total						**62640**
सांस्कृति परिषद						
2019-20	1125	60	67500	50	56250	11250
Total						**11250**
निर्धन छात्र सहायता						
2019-20	1125	30	33750	20	22500	11250
Total						**11250**
Grand Total						**304380**

STAN

प्रस्तर-1 शासन के निर्णय के बगैर, श्री देव सुमन विश्व विद्यालय के निर्देश पर छात्र कल्याण निधि से रुपये 8.00 लाख की धनराशि अवमुक्त कर छात्रों के हितो का दुरुपयोग

स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय मे कैमिस्ट्रि, बाटनी एवं जिओलोजी (सीबीज़ेड) तथा होटल प्रबंधन के नये पाठ्यक्रमों के संचालन एवं सम्बद्धधता हेतु श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को वर्ष 2017 मे शपथ पत्र प्रेषित किया गया था। शपथ पत्र मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख था की उक्त पाठ्यक्रमो के संचालन हेतु महाविद्यालय के पास सरदार विल्ला स्टेट एवं हेजल डेल स्टेट मे 13 एकड़ भूमि है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की संबद्धतता समिति द्वारा माह अगस्त 2017 को सीबीज़ेड तथा होटल प्रबंधन पाठयक्रम हेतु निरीक्षण कर पाजिटिव रिपोर्ट दी गयी थी । नये विषय खोलने हेतु सम्बद्धधता शुल्क रु 2.00 लाख तथा रु 15.00 लाख की धरोहर राशि जमा करने हेतु कहा गया था । महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 एवं 49 (घ) का हवाला देते हुए महाविद्यालय को गढ़वाल विश्वविद्यालय परिनियमावली के नियम 13.06 के अनुसार धरोहर राशि जमा करने से छूट प्राप्त करने की बात कही गयी थी। जिस पर शासन से निर्देश प्राप्त कर तदनुसार धरोहर राशि जमा की जानी थी। शासन से उपरोक्त पाठ्यक्रमो हेतु स्वीकृत भी प्राप्त की जानी थी। अभिलेखो के अनुसार माह जुलाई 2018 मे शासन से निर्देश प्राप्त न होने के बावजूद रुपये 15.00 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय को जमा कर दी गयी थी। जिसमे रुपये 8.00 लाख छात्र कल्याण निधि से एवं रुपये 7.00 लाख प्रबंध समिति के खाते से जमा किये गये। तथा पाठ्यक्रमो हेतु शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा मे सीबीज़ेड मे प्रवेश आरंभ कर कक्षाये वर्ष 2017-18 मे प्रारम्भ कर दी गयी। तथा सीबीज़ेड संकाय को चलाने हेतु अंशकालिक शिक्षको की नियुक्ति हेतु आवेदन भी मांगे गये। वर्तमान मे सीबीज़ेड की कक्षाओ का संचालन उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय के पास सरदार विला स्टेट एवं डेजल स्टेट भूमि पर न करके महाविद्यालय द्वारा जिम्नेजियम हाल मे किया जा रहा था।

इस संबंध मे पूछे जाने पर की शासन से निर्देश प्राप्त कर रुपये 15.00 लाख की राशि जमा क्यो नहीं की गयी। तथा उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन से पूर्व शासन से स्वीकृति न प्राप्त किये जाने के क्या कारण थे। स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम मे रुपये 8.00 लाख की राशि छात्र कल्याण निधि से जमा किये जाने के कारण स्पष्ट करे। तथा जिम्नेजियम हाल मे सीबीज़ेड का संचालन किये जाने का क्या कारण था ।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया की धन अभाव के कारण सीबीज़ेड का संचालन जिम्नेजियम हाल मे किया जा रहा है। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम की सम्बद्धधता हेतु रुपये 15.00 लाख की राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया था। जिसके संदर्भ मे महाविद्यालय द्वारा रुपये 8.00 लाख छात्र कल्याण निधि से तथा रुपये 7.00 लाख प्रबंध समिति के खाते से अवमुक्त कर एफ़डीआर के रूप मे प्लेज्ड की गयी। राशि जमा न करने हेतु शासन को पत्र लिखकर निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया था किन्तु उनके द्वारा कोई जवाब न दिये जाने एवं सीबीज़ेड की कक्षाए आरंभ करने के दबाव के कारण रुपये 15.00 लाख की राशि अवमुक्त कर एफ़डीआर बनवाई गयी। जिसका निर्णय प्रबंध समिति द्वारा लिया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था। शासन के निर्णय के बगैर श्री देव सुमन विश्व विद्यालय के निर्देश पर छात्र कल्याण निधि से रुपये 8.00 लाख की धनराशि अवमुक्त कर छात्रों के हितो का दुरुपयोग था।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ'**	**भाग-II'ब'**
203/2013-14	_	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
203/2013-14	2 ब प्रस्तर संख्या 1,2	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहारादून**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ सुधीर गैरोला	प्राचार्य	03/2014 से 08.08.16
2	डा॰ एस॰पी॰जोशी	प्राचार्य	09.08.16 से 30.06.20
3	डा॰ सुनील पांवर	प्राचार्य (कार्यवाहक)	01.07.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य,एम॰पी॰जी॰ कॉलेज मसूरी, देहारादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे “उप-महालेखाकार/ एएमजी- I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकारभवन,कौलागढ़,देहरादून 248195” कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I